डॉ. भीमराव अम्बेडकर : एक राजनीतिक दृष्टि

अभय कुमार
शोध छात्र, दर्शन विभाग
डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
सागर (म.प्र.) 470003
मो. 9131373073
ईमेल– abhayipr@gmail.com

शोध निर्देशक
प्रो. अखिलेश्वर प्रसाद दुबे
दर्शन विभाग
डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
सागर (म.प्र.) 470003

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी भारत में दलितों, निर्बलों, गरीबों तथा हरिजनों के लोकप्रिय नायक थे। वे भारतीय विधिवेत्ता थे। वे एक बहुजन राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी होने के साथ–साथ भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे। उन्हें बाबा–साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना सारा जीवन हिन्दू धर्म की चतुवर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वव्यापित जाति व्यवस्था के विरूद्ध संघर्ष में बिता दिया। हिन्दू धर्म में मानव समाज को चार वर्णों में वर्गीकृत किया है। उन्हें बौद्ध महाशक्तियों में दलित आन्दोलन को प्रारम्भ करने का श्रेय भी जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। कई सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय बाधाएं पार कर अम्बेडकर उन कुछ पहले अछूतों से एक बन गये जिन्होंने भारत में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। अम्बेडकर ने कानून की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही विधि, अर्थशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान में अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डॉक्टरेट डिग्रियाँ भी प्राप्त की। आम्बेडकर वापिस अपने देश देवताओं की भूमि भारत देश के एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में लौट आए। ऐसे महान महापुरुष के जीवन व जन्म के बारे में भी जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि देश की प्रगति के लिए एक सच्चे और निष्पक्ष, ईमानदार, विद्वान, समाज सुधारक की जरूरत है, जो सभी मानव कल्याण को यानि छुआछूत के ऊपर न्याय की बात रखता हो, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग से सम्मिलित क्यों न हो।

ऐसे महान आत्मा का जन्म देवताओं की भूमि भारत में डॉ. भीमराव आम्बेडकर जी के नाम से वर्तमान मध्यप्रदेश के एक नगर व सैन्य छावनी मऊ में

14 अप्रैल सन् 1897 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मातोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई मुरबादकर था। वे अपने माता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो आंम्बाडे नगर जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से सम्बन्धित था। हिन्दू महार जाति से संबंध रखते थे, जो अछूत कहे जाते थे और उनके साथ सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से गहरा भेदभाव किया था। अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश छावनी में कार्यरत थे और यहां काम करते हुए वो सूबेदार के पद पर पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने तथा कड़ा परिश्रम करने हेतु सदैव प्रेरित किया। डॉ. अम्बेडकर के पिताजी कबीर पंथ से जुड़े थे।

कबीर पंथ से सम्बन्धित इस परिवार में, रामजी सकपाल अपने बच्चों को हिन्दू ग्रन्थों को पढ़ने विशेष रूप से महाभारत और रामायण के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। उन्होंने सेना में अपनी हैसियत का उपयोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से शिक्षा दिलाने में किया, क्योंकि अपनी जाति के कारण उन्हें इसके लिए सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। उनके जीवन की मार्मिक दशा, स्कूल पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद अम्बेडकर और अन्य अस्पृश्य बच्चों को विद्यालय में अलग बिठाया जाता था और अध्यापकों द्वारा न तो ध्यान ही दिया जाता था, न ही कोई सहायता दी जाती थी। उन्होंने कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी, साथ ही प्यास लगने पर कोई ऊँची जाति का व्यक्ति ऊँचाई से पानी उनके हाथों पर पानी डालता था, क्योंकि उनको न तो पानी, न ही पानी पात्र को स्पर्श करने की अनुमति थी। लोगों के मुताबिक ऐसा करने से पात्र और पानी दोनों अपवित्र हो जाते थे। अतः कभी–कभी बिना पानी के ही रहना पड़ता था।

इस महान आत्मा की मृत्यु के कारण भारत की प्रगति अचानक थम सी गई, मानों जैसे अब भारत पुनश्चः उसी आडंबर, प्रतिपूर्वा, जात–पात, छुआछूत इत्यादि कई धार्मिक प्रवृत्तियों में डूब जायेगा और यह भारत की सबसे बड़ी कमी, अब किसी भी देश काल, परिस्थितियों व सन्दर्भ में ऊबर नहीं पायेगी, जिससे भारत एक

'विकसित' राष्ट्र नहीं बन पायेगा, शायद आज वे जिन्दा रहते तो हम 'विकासशील' से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में गिने जाते।

डॉ. भीमराव जी अम्बेडकर का राजनीति क्षेत्र में योगदान

डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्वयं अपने जीवन में भेदभाव के शिकार हुए थे। उन्होंने दलितों के साथ होते भेदभावपूर्ण सामाजिक वातावरण को बदलने का प्रयास किया। राजनीतिक विचारक के रूप में वे समतावादी समाज की स्थापना करना चाहते थे उनका मानना था कि समतावादी समाज की स्थापना में हिन्दू सामाजिक व्यवस्था बाधा उत्पन्न करती है।

वे नागरिक अधिकारों का समर्थन करते थे, उनका मानना था कि प्रत्येक सभ्य तथा सुसंस्कृत समाज हेतु नागरिक अधिकारों का होना पहली शर्त है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होने चाहिए। साथ ही वे इन अधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी गारंटी भी प्रदान करने के पक्ष में थे ताकि कार्यपालिका एवं विधायिका इन अधिकारों को समाप्त न कर दे। इसके लिए वे भारतीय संविधान निर्माता होते हुए नागरिकों के संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को मान्यता दिलवायी।

वे आरक्षण दिये जाने के पक्ष में थे उन्होंने बचपन तथा किशोरावस्था में सर्वण हिन्दुओं के अपमानजनक व्यवहार तथा बाद में बड़ौदा रियासत की नौकरी तथा बम्बई बार एसोसिएशन में छूआछूत के कारण उनके मन में उच्च वर्गों के प्रति काफी कटुता थी। अतः उन्होंने सम्मेलनों में दलितों हेतु अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा था। परन्तु गांधी जी के आमरण अनशन के कारण उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्र के मत से हटना पड़ा। परन्तु उनका दृढ़ मत था कि दलितों के उत्थान हेतु उन्हें संसद, राज्य, विधानमण्डलों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। उनके प्रयासों से ही भारत के नये संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों हेतु संसद तथा विधानमण्डलों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी। डॉ. अम्बेडकर का मत था कि भारत की नौकरशाही दलित वर्ग की पेरशानियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसका प्रमुख कारण इसके

संगठन पर सवर्ण हिन्दुओं का प्रभुत्व होता है। नौकरशाही को दलित वर्ग के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु यह जरूरी है कि इसमें दलित वर्ग के लोगों को ज्यादा–से–ज्यादा संख्या में भर्ती की जाये।

वे संसदीय लोकतंत्र के समर्थक थे, वे लोकतंत्र को ही बेहतर शासन व्यवस्था मानते थे। भारत में दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों के बावजूद वे लोकतंत्र को ऐसी व्यवस्था मानते थे, जिनमें बिना हिंसक संघर्ष के सामाजिक तथा राजनीतिक बदलाव सम्भव है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय उन्होंने संविधान सभा में संसदीय लोकतंत्र के पत्र को बड़े ही सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया।

वे राज्य को एक जरूरी संगठन बनाना चाहते थे, परन्तु पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी असर के कारण ही इसकी निरंकुशता सत्ता के विरोधी थे। उनके अनुसार राज्य की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समानता की स्थापना हेतु कार्य करना चाहिए। वे राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के समर्थक थे। उनका मानना था कि राज्य को समाज के निर्बल तथा उपेक्षित वर्ग के लोगों को संरक्षण देना चाहिए, यही उनकी सही भूमिका होगी।

अलग राष्ट्र की माँग का वे समर्थन करते थे, किसी भी सांस्कृतिक, धार्मिक या जातीय संघ को अपने स्वतंत्र तथा अलग विकास हेतु अलग क्षेत्र की मांग करना न्याय संगत है, उसमें पृथक राष्ट्र के सभी तत्व मौजूद हो। दलितों हेतु वे उनकी जनसंख्या के अनुसार सत्ता में भागीदारी चाहते थे। आलोचक नेउन्हें अलगाववाद कहा है।

भाषा की एकता व प्रांतों को पुनः एकजुट करने के पक्ष में वे कहते है कि, प्रान्तों में जातीय तथा सांस्कृतिक तनाव में कमी आयेगी। वे प्रादेशिक भाषाओं तथा निधियों को संरक्षण देने के पक्ष में थे, परन्तु प्रादेशिक भाषाओं को सरकारी कामकाज की भाषा का स्तर देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि इससे प्रान्तवाद को बढ़ावा मिलेगा तथा हिन्दी को राष्ट्रभाषा का वास्तविक दर्जा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होगी। अन्ततः इससे राष्ट्रीय एकता में कमी आयेगी।

महिलाओं के अधिकारों व सुरक्षा हेतु संविधान में हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति में लगभग शूद्रों जैसी थी। महिलाओं को हिन्दू समाज में समान अधिकार दिलाने हेतु उन्होंने विधि मंत्री के नाते हिन्दू कोड बिल भारतीय संसद के सामने रखा, जिससे महिलाओं को पिता की सम्पत्ति में अधिकार को मान्यता दी गयी। मृत पति की सम्पत्ति पर पत्नी का अधिकार माना गया तथा पत्नी को अव्यवस्था की स्थिति में पति से तलाक देने की व्यवस्था की गयी। अतः महिला अधिकारों हेतु अम्बेडकर का योगदान अविस्मरणीय रहेगा।

वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रबल हिमायती तथा एक सच्चे लोकतंत्रवादी के रूप में वे अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को पूर्ण सुरक्षा देने के पक्ष में थे। विभिन्न राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद डॉ. अम्बेडकर भारत जैसे विविधताओं वाले राष्ट्र हेतु संजीव व्यवस्था को अधिक प्रयुक्त मानते थे। संजीव व्यवस्था के अन्तर्गत शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होने से भ्रष्टाचार की सम्भावना कम हो जाती है। अतः राष्ट्रीय एकता की रक्षा हेतु शक्तिशाली केन्द्र के भी समर्थक थे।

भारतीय धर्म और धर्म निरपेक्षता के बारे में उनका दृष्टिकोण राज्य को तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा धर्मों तथा मतों के पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए। वे राज्य से यह अपेक्षा करते थे कि न तो वह किसी धर्म विशेष को संरक्षण दे और न किसी धर्म अथवा मत को हतोत्साहित ही करें। प्रत्येक धर्म के मतावलम्बियों को स्वतंत्रतापूर्वक अपने धर्म का पालन करने, धर्म तथा विचारों को बढ़ाने के प्रयास कर सकता है।

अंततः कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर लोकतंत्र समर्थक नागरिक अधिकारों के प्रबल पक्षधर, मानव समानता के उद्घोषक तथा महिला अधिकारों हेतु लड़ने वाले योद्धा थे। राजनीतिक प्रबल के रूप में उनका उदारवादी लोकतंत्र में विश्वास था परन्तु उनके लिए लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था से ज्यादा एक जीवन पद्धति भी थी, जिसमें जन्म, लिंग तथा धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई छुआछूत न हो। उन्होंने दलितों की स्थिति सुधारने तथा उनमें आत्म सम्मान की भावना पैदा करने हेतु जीवन भर संघर्ष किया। भारतीय स्त्रियों की दशा में

सुधार लाने हेतु उन्होंने हिन्दू कोड बिल संसद में रखा परन्तु यह विधेयक जरूरी समर्थन न मिल पाने के कारण पास न हो सका। अतः उन्होंने विधि मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर पूरे समाज के मसीहा के रूप में सदैव पूज्यनीय रहेंगे।

पैदा न होता अगर वो मसीहा,
खुशियों का यूँ सिलसिला न होता।
बैरंग रह जाती ये जिन्दगी,
अगर आसमां का रंग नीला न होता।।

संदर्भ सूची –

1. अम्बेडकर, डॉ. बी.आर. : बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, खण्ड–10, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. शेखर, सुधांशु : वर्ण–व्यवस्था और सामाजिक न्याय, डॉ. अम्बेडकर के विशेष सन्दर्भ में, भागलपुर, 2011
3. कृष्णदत्त पालीवाल : डॉ. अम्बेडकर अस्वीकार का साहस, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014
4. मुकेश सिंह : डॉ. भीमराव अम्बेडकर, वंदना पब्लिकेशन्स, दरियागंज, नई दिल्ली, 2012